

2026/129

मिर्ची
06.2.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

रावतसर जिला हनुमानगढ
अदरीश खां आदि
प्रकरण संख्या 27 वर्ष 2026

वादायतलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
असरफ खान
बनाम
वादा पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15.01.2026	वकील वादी द्वारा यह वादा पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादा वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.01.2026 को पेश हो।	
20.01.2026	वकील मुक्ति कर्षी ने धारणा - फर सिविल केबी पेश करते पर प्रजावली को केबी में लिफा गणना व कुलार फरिडेन उपरिखर/पुसि नही का 10/5 के जरिये गरीब डिजेटेड राइट उपरिखर आकर नकल देका पेश किया जिसे वाखिल कारिल डिपारटमा प्रजावली काले स्टेट जजक काले 23.01.2026 को पेश हो।	अदरीश
23.01.2026	कुलार फरिडेन उपरिखर/PU मुक्ति कर्षी केबी पेश है। पत्रावली मुक्ति कर्षी केबी स्टेट जजक काले दिनांक 06.2.2026 को पेश हो	अदरीश
06.2.2026	कुलार फरिडेन उपरिखर/पुसि नही स्टेट जजक मुक्ति कर्षी उभा। वरु मुनी गरी प्रजावली का अवलोकन डिपारटमा प्रजावली पर उपरिखर रिकार्ड आई गरी मुक्ति कर्षी की सहकारी के आदर पर वाड गरी डिप्टी क्लराला है। मुनी विचलन सहित निवर्ष अलग से निपारणा जाकर वाखिल कारिल डिपारटमा प्रजावली नम्बर से अग की आदर वाड 12/01/2026 को गरीब डिपारटमा हाखिल दफतर हो।	अदरीश Orayat Jisme Mehar

असरफ
प. नसी

